पीठासीन अधिकारीः लोकेश कुमार मीना, अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 14/2019, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल पवन सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 30 मोती नगर, बांदीकुई थाना बांदीकुई जिला दौसा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: गैर सायल स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः– 11.03.2020

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल पवन सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 30 मोती नगर बांदीकुई थाना बांदीकुई जिला दौसा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है।

1. मु. सं. 583/17 दिनांक 22.11.2017 धारा 13 RPGO थाना बांदीकुई सजा 25.11.2017 एसीजेएम बांदीकुई
2. मु. सं. 01/18 दिनांक 1.1.2018 धारा 13 RPGO थाना बांदीकुई सजा 12.1.2018 एसीजेएम बांदीकुई

उक्त शख्स पवन सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 30 मोती नगर बांदीकुई ताशपत्ति खेलने लग गया। परिजनो के द्वारा उसकी गतिविधियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप उक्त शख्स बदमाश व्यक्तियों के सम्पर्क में रहने लग गया और ताशपत्ति से जुआ खेलने के अपराध में शरीक होना शुरू कर दिया। जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। यह व्यक्ति लोगो को डराता धमकाता है। आम लोग भय के कारण इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करते है ना ही गवाही देते है। उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) 5 के अन्तर्गत गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल स्वयं उपस्थित आया। गैर सायल द्वारा जवाब इस्तगासा प्रस्तुत किया गया एवं गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल के विरूद्ध दो मुकदमे थाना बांदीकुई में दर्ज होकर गैर सायल को सजा हो चुकी है। उक्त शख्स राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत अभ्यस्थ अपराधी होना पाया जाता है, जो जूर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। गैर सायल का स्वच्छन्द रहना समाज के लिये संकटमय हो गया है। इस व्यक्ति का आतंक इतना फैला हुआ है कि इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति गवाही देने तथा रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है। गैर सायल पवन सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 30 मोती नगर बांदीकुई थाना बांदीकुई जिला दौसा के विरूद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज होकर विगत वर्षो में 2 अपराधों में सजा हुई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैर सायल आपराधिक प्रवृतियों मे लिप्त रहने एवं शान्ति भंग करने का आरोपी है। गैर सायल के उक्त कृत्यों के कारण सार्वजनिक स्थानों पर भय व्याप्त है। गैर सायल पवनसिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल पवनसिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह को जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

गैर सायल ने जवाब बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी गुण्डा एक्ट जैसी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं रहा है। प्रार्थी के विरूद्ध जो दो मुकदमों का विवरण दिया गया है उनके सम्बन्ध में प्रार्थी का यह निवेदन है कि प्रार्थी टैक्सी ड्राईवर है तथा टैक्सी स्टैण्ड पर अपनी गाडी के पास बुकिंग के इन्तजार में खडा था तभी पुलिस वालों को देखकर जुआ खेलने वाले लोग वहां से भाग गये तथा प्रार्थी को दोनो बार 13 आर.पी.जी.ओ. के मामले में संलिप्त कर लिया जबकि प्रार्थी ने कभी कोई जुआं नहीं खेला है बल्कि अपनी गाडी के पास खडे हुए को पुलिस ने पकडा है। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों को करीब एक वर्ष दस माह का समय हो गया है इस अवधि में प्रार्थी के विरूद्ध किसी अन्य अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है प्रार्थी यह आश्वस्त करता है कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों से अपनी दूरी बनाकर रखेगा। गैर सायल द्वारा उसके विरूद्ध संचालित गुण्डा एक्ट की कार्यवाही को समाप्त करने का निवेदन किया गया।

बहस लोक अभियोजक व गैर सायल पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल पवनसिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 30 मोती नगर बांदीकुई उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल के विरूद्ध पूर्व में दर्ज दो मुकदमों में गैर सायल को सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समाज में सद्भावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके।

उपरोक्त विवेचनानुसार इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल पवन सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 30 मोती नगर थाना बांदीकुई जिला दौसा को दिनांक 12.3.2020 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बसवा के रास्ते होते हुए थाना राजगढ जिला अलवर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी राजगढ जिला अलवर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र राजगढ जिला अलवर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थाना अधिकारी थाना राजगढ जिला अलवर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं अलवर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official